

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या— 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक:—एफ14()एफसीए/उवसं/2021-22/ १६ दिनांक :— १४/०१/२०२२
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:— Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018.

संदर्भ:— कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा लगाये गये ऑनलाईन ईडीएस दिनांक 24. 12.2021 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण Diversion of land 0.87ha. of forest land for Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no FP/RJ/ROAD/33196/2018 Forest land Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980. मे उच्च कार्यालय द्वारा संदर्भित ऑनलाईन ईडीएस के माध्यम से आक्षेप लगाया गया है जो निम्नानुसार है:—

1. Nodal Office, Jaipur raise the issue that- Gravel road is already constructed in the area. When was this road constructed . If FCA sanction is received for this then attach and upload it. Plz reply the EDS.

इस क्रम मे आवेदित विषयान्तर्गत प्रस्तावित सङ्क वर्ष 1980 से पूर्व की कच्ची पगड़न्डी है। उक्त कच्ची पगड़न्डी का उपयोग प्राचीन माताजी के मंदिर, जो पहाड़ी की टोप पर स्थित है, हेतु 1980 से पूर्व से ही किया जाता रहा है। उक्तानुसार किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है। ना ही किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन किया गया है। रिपोर्ट श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

००

(सुनील चिंटी)

उप वन संरक्षक

अजमेर

दिनांक:—

क्रमांक:— सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटोकशन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार से गैर वानिकी कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ना किया जावे यह सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक

अजमेर